न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 26 / 2019
जीसीएमएस नम्बर 2019 / 00028

निर्णय दिनांक 27.12.2024

गिरधारी लाल पुत्र टीकुराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ हाल निवासी कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

—वादी—

बनाम

1. जालुराम पुत्र मघाराम जाति मेघवंशी निवासी कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की तरफ से वादपत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है वादी मूलरूप से गांव कीतासर बीदवतान का निवासी है जो वर्तमान में गांव कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में निवास करता है। वादगत खेत खसरा नंबर 222 रकबा 5.40 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन 0.10 हैक्टेयर रोही ग्राम कीतासर बीदावतान वादी के पिता टीकूराम पुत्र देबूराम जाति चमार (मेघवाल) की कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग का खेत है जिस पर कब्जा काश्त वादी के पिता टीकूराम की संवत 2016 के पहले से चली आ रही है एवं वर्तमान में वादगत खेत पर कब्जा काश्त वादी की चली आ रही है। वादगत खेत के खसरा नंबर पुराने 142 तादादी 21 बीघा 9 बिस्वा जिसके संवत् 2016 में खसरा नंबर 157 तादादी 21 बीघा 9 बिस्वा बने तथा संवत् 2045 में खसरा नंबर 157 के स्थान पर खसरा नंबर 163 कायम किये गये एवं संवत् 2060 में खसरा नंबर 163 के स्थान पर खसरा नंबर 222 रकबा 5.40 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन 0.10 हैक्टेयर कायम किये गये जो वर्तमान में चले आ रहे है। दावा को भली भांति समझने के लिए वादी कि वंशावली निम्न है— .

मघाराम (फौत)

जालुराम लाओलाद कंवारा साधु बनकर निकल गया संवत 2014 में	देबुराम (फौत) टीकुराम (फौत) गिरधारीराम

प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता टीकुराम के चाचा थे एवं वादगत खेत की खातेदारी संवत 2016 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई थी जो कि वर्तमान में भी दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का वादगत खेत पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि कुंवारे थे एवं लगभग 60—65 वर्ष पहले [illegible] निकल गये थे जो कि आज तक लौटकर नहीं आये। जबकि वादगत खेत पर कब्जा [illegible] ले वादी के पिता टीकुराम व बाद में वादी का निरन्तर चला आ रहा है। वादगत [illegible] 222 वादी का पैतृक रकबा है इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

आधार पर वादी वादगत रकबा के राजस्व रिकॅार्ड में घोषणा के जरिये अपने पिता टीकुराम पुत्र देबूराम जाति चमार (मेघवाल) दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 का पिछले 60–65 वर्षो से कोई अता–पता नहीं है। वादी के पिता टीकुराम व उसके बाद वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की काफी खोजबीन की लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 का कोई पता नहीं चला। वादगत खेत पर कब्जा काश्त एवं पैतृक खेत होने से वादी वादगत खेत के राजस्व रिकॅार्ड में अपने पिता टीकुराम के नाम खातेदारी की घोषणा करवाकर उनका नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। संवत् 2016 में कब्जा काश्त वादी के पिता कि होते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज हुए अंकन का वादी रिकॅार्ड दुरूस्ती के जरिये हटाकर वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के पिता व उसके बाद वादी द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 के बारे में केई अता–पता नहीं चल सका। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 से वादगत खेत कि खातेदारी कब्जा काश्त एवं पैतृक भूमि होने के आधार पर वादी के पिता टीकुराम के नाम राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि कब्जे के आधार पर राजस्व रिकॅार्ड में वादगत खेत की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के लिए आपको सक्षम न्यायालय से अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा करवानी होगी। मैं बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वादगत खेत की खातेदारी आपके पिता के नाम नहीं दर्ज करूंगा। यही दावे का आधार वादी को पिछले 70 वर्षो से वादगत खेत पर कब्जा काश्त होने से प्राप्त है। तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ द्वारा वादगत खेत के राजस्व रिकॅार्ड का संधारण किया जाता है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। वादगत खेत के समय में तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ का प्रत्यक्ष रूप से कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है इसलिये धारा 80 (1) सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में दावा पेश करने कि अनुमति प्राप्त करने के लिये धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जो स्वीकार योग्य है। वादगत खेत रोही ग्राम कीतासर बीदावतान में स्थित होने से दावा न्यायालय श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। दावा न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार का होते हुये पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें।

(क) यह कि वादगत खेत खसरा नंबर नया 222 रकबा 5.40 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ कि खातेदारी पैतृक भूमि होने से वादी के पिता टीकुराम पुत्र देबूराम जाति चमार (मेघवाल) के नाम घोषित कि जावें । तद्नुसार ही राजस्व रिकॅार्ड में अंकिन किया जावें।

(ख) यह कि अन्य कोई अनुतोष हितकर वादी हो दिलाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 को जरिये नोटिस / रजिस्टर्ड एडी / अखबार साया तलबी तलब किया गया। परन्तु इनकी ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं आया। लिहाजा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी स्वंय पेश की गई। एवं अन्य साक्ष्य के रूप में दो ग्रामवासी सोहनसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत व मालसिह पुत्र मघ सिंह जाति राजपूत निवासीगण कितासर बिदावतान के शपथ पत्र पेश किये गये। बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2011 PATNA 125 व 128 पृष्ठ संख्या 125 से 128 पेश किये गये।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये जिनमें गिरदावरी सम्वत 2029 से 2035 तक वादगत रकबा वादी के पिता टीकूराम चमार के नाम से काश्त होना दर्शाया गया है। एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार वादी का चाचा है एवं दर्ज खातेदार कुंवारा लाऔलाद पिछले 65 वर्षो से लापता होने से खातेदार के वादी की जायज वारिसान टीकूराम ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वारिस है। तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार में भी वादगत रकबा वादी के कब्जा काश्त में होना बताया गया है। लिहाजा वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर नया 222 रकबा 5.40 हैक्टेयर रोही कीतासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ कि खातेदारी पैतृक भूमि होने से वादी के पिता टीकुराम पुत्र देबूराम जाति मेघवाल सा. देह के नाम घोषित की जाकर तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

गिरधारी लाल पुत्र टीकुराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ हाल निवासी कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

बनाम

1. जालुराम पुत्र मघाराम जाति मेघवंशी निवासी कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 26/2019
दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 27.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **खेत खसरा नंबर नया 222 रकबा 5.40 हैक्टेयर रोही कीतासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ कि खातेदारी पैतृक भूमि होने से वादी के पिता टीकुराम पुत्र देबूराम जाति मेघवाल सा. देह के नाम घोषित की जाकर तद्नुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)